प्रेस नोट

दिनांक 10.07.2024, थाना नवाबगंज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत फाइनेंस कम्पनी के एजेंट के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण, अन्तर्जनपदीय 05 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 3,02,000/-कैश, टूटी हुई माइक्रो एटीएम डिवाईस, नीले रंग का पीट्ठू बैग, आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोटरसाईकिले व 04 अदद मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना नवाबगंज पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0-228/24, धारा 309(6), 317(2), 61(2)A बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तो 01. सुधाकर पाण्डेय, 02. ऋषभ चौधरी, 03. अनुराग त्रिपाठी, 04. हर्षित शुक्ला उर्फ गौरव शुक्ला, 05. प्रशान्त दूबे को सरयू पुल अयोध्या बस्ती मार्ग स्थित खाली मड़हे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की 3,02,000/- कैश, 01 अदद टूटी हुई माइक्रो एटीएम डिवाईस बीएम 30, 01 अदद नीले रंग का पीट्ठू बैग, 01 आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोटरसाईकिले व 04 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2024 को देर रात्रि वादी श्री विनोद कुमार पांडे पुत्र पारस पांडे निवासी पांडे टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोंडा ने सूचना दी कि वह सी0एस0पी0 टिकरी पर एजेंट का कार्य करता है। प्रायः फैजाबाद से कंपनी का पैसा लेकर सी0एस0पी0 टिकरी लेकर आता है। दिनांक 04.07.2024 को वह अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से समय करीब 10:05 बजे रात में फैजाबाद से बैग में कैश व दो माइक्रो एटीएम लेकर आ रहा था, कि टिकरी मोड़ पर अचानक मोटरसाइकिलो पर सवार बदमाशो ने रोक लिया और वादी व उसके साथी विपिन कुमार निषाद को डंडे से मारकर बैग छीन लिया। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में तत्काल मु0अ0सं0 228/24, धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ । उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम सहित 05 टीमों का गठन कर घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया था । जिसके क्रम में आज दिनांक 10.07.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य व अन्य मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना के सफल अनावरण करते हुए 05 अन्तर्जनपदीय लुटेरों-01. सुधाकर पाण्डेय, 02. ऋषभ चौधरी, 03. अनुराग त्रिपाठी, 04. हर्षित शुक्ला उर्फ गौरव शुक्ला, 05. प्रशान्त दूबे को सरयू पुल अयोध्या बस्ती मार्ग स्थित खाली मड़हे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की 3,02,000/- कैश, 01 अदद टूटी हुई माइक्रो एटीएम डिवाइस बीएम30, 01 अदद नीले रंग का पीट्ठू बैग, 01 आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोटरसाईकिले व 04

अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ इस घटना में कुल 08 लोग संलिप्त है । सुधाकर पाण्डेय पिछले 16 माह से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कम्पनी में कार्य करता है उसी कम्पनी से वादी अपने सी0एस0पी0 के नाम पर पैसा ले जाता था । जिसकी जानकारी सुधाकर द्वारा अपने साथियों को दी गयी। दिनांक 04.07.2024 को घटना से पूर्व अयोध्या नया घाट हाईवे पुल के पास शाम इक्ट्ठा होकर सी0एस0पी0 के एजेंट से कैश लूटने की योजना बनाई थी। सुधाकर ने अपने साथी शिवा उपाध्याय को कहा था कि जैसे ही कम्पनी का एजेन्ट पैसा लेकर निकलेगा फोन पर बता दूगा अपने साथियों को जगह जगह अपने हिसाब व्यवस्थित कर देना। जैसे ही वादी/एजेंट पैसा ले कर अपने साथी के साथ निकला कि अभियुक्तगण अपने योजना के अनुसार मोटरसाइकिलों से पीछा करने लगे । पीछा करते हुए जैसे ही एकान्त जगह देखा की पीछे से एक अभियुक्त द्वारा वादी व उसके साथी को पीछे से डण्डे से मारकर सभी अभियुक्तगण हमलावर होते हुए कैश व सी0एस0पी0 से सम्बन्धित अन्य समानों से भरा बैग लूट कर फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सुधाकर पाण्डेय पुत्र संतोष कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम डारी डीहा थाना कलवारी जनपद बस्ती।
02. ऋषभ चौधरी पुत्र रामनयन चौधरी निवासी सियरापार कूप नगर चमौरा थाना कोतवाली जनपद बस्ती
03. अनुराग त्रिपाठी पुत्र कृष्ण कुमार त्रिपाठी निवासी विलवत पतरा बाजार थाना पतराबाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
04. हर्षित शुक्ला उर्फ गौरव शुक्ला पुत्र दुर्गाप्रसाद शुक्ला उर्फ बबलू निवासी चैनपुरवा थाना पुरानी बस्ती, बस्ती।
05. प्रशान्त दूबे पुत्र महेन्द्र कुमार दूबे निवासी सनाहा उपरहर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0स0-228/24, धारा 309(6), 317(2), 61(2)A बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. लूट की 3,02,000/- कैश (वादी का)
02. 01 अदद टूटी हुई माइक्रो एटीएम डिवाईस बीएम 30(वादी का)
03. 01 अदद नीले रंग का पीट्ठू बैग(वादी का)
04. 01 आधार कार्ड(वादी का)
05. घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोटरसाईकिले।
05. 04 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज मनोज कुमार राय मय टीम।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 सर्वजीत गुप्ता मय टीम।
03. प्रभारी सर्विलांस शादाब आलम मय टीम ।

01. अभियुक्त सुधाकर पाण्डेय पुत्र संतोष कुमार पाण्डेय का अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 147, 148, 149, 186, 323, 332, 336, 341,353, 395, 412, 504 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कलवारी जनपद बस्ती।
02. मु0अ0स0 220/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कलवारी जनपद बस्ती।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट

दिनांक 10.07.2024, थाना परसपुर

जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 33/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजन कुमार गौतम पुत्र स्व0 राम चन्दर उर्फ चिरकूट निवासी वरईनपुरवा भटनईया थाना करनैलगंज गोण्डा को थाना परसपुर के द्वारा पचईपुरवा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में मु0अ0सं0-33/2024, धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 10.07.2024 को वांछित अभियुक्त राजन कुमार गौतम पुत्र स्व0 राम चन्दर उर्फ चिरकूट निवासी वरईनपुरवा भटनईया थाना करनैलगंज गोण्डा को थाना परसपुर के द्वारा पचईपुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. राजन कुमार गौतम पुत्र स्व0 राम चन्दर उर्फ चिरकूट निवासी वरईनपुरवा भटनईया थाना करनैलगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 33/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0वीरेन्द्र श्रीवास्तव
02. हे0का0 राघवेन्द्र शाही
03. हे0का0 वीरेन्द्र मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 10.07.2024, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 05 माह का सश्रम कारावास व रूपए 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 06 माह का कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 21.11.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त ताने उर्फ सुल्तान पुत्र मो0इसराइल निवासी पोर्टरगंज पथवलिया थाना को0नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 नम्रता चौधरी व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट श्री सुर्य प्रकाश सिंह महोदय द्वारा 05 माह सश्रम कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. ताने उर्फ सुल्तान पुत्र मो0इसराइल निवासी पोर्टरगंज पथवलिया थाना को0नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-840/2022, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।